

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मधुसूदन प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2013 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 24093

10 अगस्त, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या उप समाहर्ता, स्थापना, गया द्वारा पारित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता के दण्ड आदेश की पुष्टि की गई थी, को रद्द किया जा सकता है?

हेडनोट्स

सेवा कानून-विभागीय कार्यवाही-याचिकाकर्ता को वर्ष 1994 में आरोप-पत्र सौंपा गया था- याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रशासनिक चूक के कारण बिहार राज्य को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप दायर किए गए थे-माननीय उच्च न्यायालय ने सजा के पहले के आदेश और जांच रिपोर्ट को नए सिरे से जांच करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया था।

निर्णय: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया - कोई नई जाँच नहीं की गई - क्योंकि मूल दंड आदेश और अपीलीय आदेश दोनों को माननीय उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था- उप समाहर्ता, स्थापना, जाँच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका नहीं निभा सकते थे और नई जाँच किए बिना दंड के पहले के आदेश को बहाल नहीं कर सकते थे - गैर-मौजूद जाँच रिपोर्ट पर आधारित कार्यवाही को मनमाना और माननीय उच्च न्यायालय के पहले के आदेश के विपरीत माना गया - निर्देश के साथ, याचिका स्वीकार की गई। (पैराग्राफ 5 से 7)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

मुख्य शब्दों की सूची

जांच रिपोर्ट, विभागीय कार्यवाही, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करना, दण्ड, मनमानी, नई जांच

प्रकरण से उत्पन्न

उप-समाहर्ता, स्थापना, गया द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं की ओर से: श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी-19 श्री अतुल शंकर, एसी टू एससी-19

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2013 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 24093

=====

मधुसूदन प्रसाद, पिता- स्वर्गीय राम भगन प्रसाद, मोहल्ला-रंगबहादुर रोड, रानी बीघा
एस्टेट तेल बीघा के समीप, थाना- कोतवाली, जिला-गया के निवासी

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया
3. समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी, गया
4. उप समाहर्ता, स्थापना, गया
5. संचालन अधिकारी सह कार्यकारी दंडाधिकारी, गया

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री ऋषि राज सिन्हा, एस सी-19

श्री अतुल शंकर, ए सी से एस सी-19

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 10-08-2023

वर्तमान रिट याचिका उप समाहर्ता, स्थापना, गया अर्थात् उत्तरदाता सं. 4 द्वारा

पारित दिनांक 22.11.2012 के आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत पहले के सजा आदेश की पुष्टि की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जब याचिकाकर्ता सेवा में था, तब याचिकाकर्ता को दिनांक 22.11.1994 को एक आरोप पत्र दिया गया था, जिसमें विभिन्न आरोप थे, जो मुख्य रूप से राज कमल सर्कस से संबंधित मूल फाइलों को प्रस्तुत नहीं करने से संबंधित थे और साथ ही पितृपक्ष मेले से संबंधित सैराट समझौते से संबंधित थे, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ था।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि एक जांच की गई थी, जिसके बाद दिनांक 6.9.2019 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जांच अधिकारी ने आरोप सं. 1 को सिद्ध नहीं पाया था लेकिन उन्हें आरोप सं. 2, 4 और 5 से 11 को आंशिक रूप से सिद्ध पाया था। इसके बाद, कोई दूसरा कारण दर्शाओ नोटिस जारी किए बिना, गया के जिला दंडाधिकारी ने 30.9.1995 का आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें संचयी प्रभाव के साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का दंड दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तब एक अपील दायर की थी, हालांकि, उसे भी 9.5.1998 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता ने तब 1998 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7995 वाली एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी, जिसमें जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों, दिनांक 30.9.1995 के दंड आदेश और दिनांक 19.5.1998 के अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 23.1. 2012 के एक फैसले द्वारा न केवल जांच अधिकारी के निष्कर्ष को अपास्त कर दिया था, बल्कि दंड आदेश और अपीलीय आदेश को भी अपास्त कर दिया था, जिसके बाद मामले को नए सिरे से पुनर्विचार के लिए उत्तरदाता अधिकारियों को वापस भेज दिया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए जाँच की प्रक्रिया आठ

महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि नए सिरे से जाँच करने के बजाय, जिला उप समाहर्ता, स्थापना, गया ने एक जांच अधिकारी की भूमिका निभाई और याचिकाकर्ता को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसके बाद, दिनांक 22.11.2012 का आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को पूर्व में जिला दंडाधिकारी, गया द्वारा पारित दिनांक 30.9.1995 को पारित आदेश द्वारा दी गयी सजा को बहाल किया गया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 23.1.2012 के निर्णय के तहत जारी मुकदमे के पहले दौर में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि जांच अधिकारी द्वारा नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता थी, हालाँकि, जाँच अधिकारी द्वारा कोई नई जांच नहीं की गई है, इसलिए, उत्तरदाता सं. 4 के निष्कर्ष, दिनांक 22.11.2012 के आक्षेपित आदेश में, इस तथ्य के कारण कानून की नजर में अमान्य है क्योंकि इस न्यायालय के दिनांक 23.1.2012 के उपरोक्त निर्णय के बाद, कोई जांच रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं है। इस प्रकार, जाँच अधिकारी द्वारा कोई निष्कर्ष निकाले बिना, उत्तरदाता सं. 4, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी नहीं है, के पास मामले में आगे बढ़ने और दिनांक 30.9.1995 के दंड आदेश को बहाल करने का कोई अधिकार नहीं था।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हालाँकि यह दलील दी है कि रिमांड पर, उत्तरदाता सं. 4 ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया, याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसका जवाब प्राप्त किया और फिर और फिर विवेक का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22.11.2012 का आक्षेपित आदेश पारित किया है, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर पाया है कि इस न्यायालय द्वारा मुकदमे के पहले दौर में पारित दिनांक 23.1.2012 के आदेश का उसके वास्तविक अर्थों में पालन नहीं

किया गया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 23.1.2012 को 1998 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 7995 में पारित पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि कोई नई जांच नहीं की गई है और चूंकि जांच रिपोर्ट को दिनांक 23.1.2012 के उपरोक्त निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था, इसलिए जांच अधिकारी का कोई निष्कर्ष मौजूद नहीं है जिससे अनुशासनात्मक प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने और एक बड़ी सजा देने में सक्षम हो सके, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि जिला दंडाधिकारी, गया द्वारा पारित दंड का मूल आदेश दिनांक 30.9.1995 और अपीलीय आदेश दिनांक 19.5.1998, दोनों को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 23.1.2012, के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था, उत्तरदाता सं. 4, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी नहीं है, को अनुशासनात्मक प्राधिकरण की भूमिका निभाने और अनुशासनात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसकी ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध है और दिनांक 23.1.2012 के उपरोक्त निर्णय के विपरीत है, इसलिए उत्तरदाता सं. 4 द्वारा पारित दिनांक 22.11.2012 के आक्षेपित आदेश को न केवल विकृत, बल्कि मनमाना और कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं को तत्काल दिनांक 22.11.2022 के दंड आदेश को रद्द करने के कारण वेतन के बकाया की गणना और भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

8. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।